UPPB010024572026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–961/2026

तौशीफ पुत्र सूक्खा, निवासी–मोहल्ला रजागंज देहात, थाना–पूरनपुर, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–797/2021,
अन्तर्गत धारा–147, 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–पूरनपुर, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 02.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त तौशीफ की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–26.11.2021, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा शाहीन बेगम के द्वारा दिनांक–26.11.2021 को थाना–पूरनपुर, जिला–पीलीभीत पर इस आशय की तहरीर दी गई है कि दिनांक–25.11.2021 को वादिनी के पति इस्लाम खां की आटो–रिक्शा चालक नूर मिया व मुन्ना के साथ कुछ कहा–सुनी हो गयी। इस घटना के कुछ समय बाद नूर मिया, मुन्ना अपने छः–सात साथियों के साथ हाथों में लोहे की राड व लोहे के पाईप लेकर वादिनी के पति को जान से मारने की नीयत से पीटने लगे तथा मरा हुआ जान कर ये लोग घटनास्थल से भाग गये।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वह प्राथमिकी में नमाजद अभियुक्त नहीं है। मामले में उसका कोई विशिष्ट रोल नहीं दर्शाया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–23.03.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव कर, वादिनी मुकदमा के पति इस्लाम खां को लोहे की राड से जान से मारने की नीयत से मारपीटा गया जिससे उसके शरीर पर गम्भीर चोटें आयीं तथा जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव कर, वादिनी मुकदमा के पति इस्लाम खां को लोहे की राड से जान से मारने की नीयत से मारपीटा गया जिससे उसके शरीर पर गम्भीर चोटें आयीं तथा जान से मारने की

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.02 16:44:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धमकी देने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। विवेचनोपरान्त मामले में आरोप–पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–23.03.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध हैं। लिहाजा इन परिस्थितियों में यह अदालत आवेदक/अभियुक्त को जमानत पाने का हकदार मानती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त तौशीफ का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा अंकन 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर निम्न शर्तानुसार उनको जमानत पर रिहा किया जाए–

1. वह विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. वह आरोप तथा धारा 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. वह किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगा।
4. वह जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

दिनांकः 02.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत